संख्या-13/2015/1229/11-5-2015-312(297)/2010

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 15 जून, 2015

विषय:- मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उप निबन्धक ग्रेड-1 के 120 पदों एवं उप निबन्धक ग्रेड-2 के 234 पदों को संविलीन करते हुए उप निबन्धक पद नाम तथा उन्हें वेतन बैण्ड-3 रूपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रूपये 5400/- अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-क0नि05-3964/11-2006-312(45)/2006, दिनांक 29-11-2006, जिसके द्वारा उप निबन्धक के चिन्हित 120 पदों हेतु संशोधित उच्चीकृत वेतनमान रूपये 8000-275-13500 की स्वीकृति प्रदान करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर तैनाती किये जाने व शेष पदों हेतु वेतनमान रूपये 6500-10500 यथावत रखे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं, तदुपरान्त शासनादेश संख्या-क0नि0-5-2002/11-2007-312(27)/2008, दिनांक 30-05-2008 के द्वारा उप निबन्धक संवर्ग के पदों को ग्रेड-1 व ग्रेड-2 में विभक्त करते हुए तैनाती की व्यवस्था पूर्ववत् बनाये रखने हेतु आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- इसी क्रम में शासनादेश संख्या-629/ग्यारह-5-2012-312(297)/2010, दिनांक 23-03-2012 द्वारा मुख्य सचिव समिति की संस्तुति के आधार पर स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग में पदवार की गयी संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन का उल्लेख करते हुए अर्हता/ भर्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये हैं।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में मुख्य सचिव समिति द्वारा पुन: विचार किया गया। मुख्य सचिव समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में विचारोपरान्त तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) शासनादेश संख्या-629/ग्यारह-5-2012-312(297)/2010, दिनांक 23-03-2012 निरस्त किया जाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उप निबन्धक ग्रेड-1 के 120 पदों एवं उप निबन्धक ग्रेड-2 के 234 पदों को संविलीन करते हुए उप निबन्धक पदनाम तथा इस पद पर वेतन बैण्ड-3 रूपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतनरूपये 5400/- अनुमन्य कराये जाने की स्वीकृति इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है, तदनुसार शासनादेश संख्या-क0नि05-3964/11-2006-312(45)/2006, दिनांक 29-11-2006, व शासनादेश संख्या-क0नि0-5-2002/11-2007-312(27)/2008, दिनांक 30-05-2008 इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

4- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-487/दस-2015, दिनांक 12-06-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2015/1229(1)/11-5-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- समस्त उप महानिरीक्षक निबन्धन/ सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 ।
4- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (दो-दो प्रतियों में) ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- कार्मिक अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाइल।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

ht p://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।